भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3242
(जिसका उत्तर सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाना है)

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध आरोप

3242: डॉ. मोहम्मद जावेद:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष के विरुद्ध हितों के टकराव के आरोपों के प्रत्युत्तर में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;
(ख) क्या प्राधिकारियों द्वारा आरोपों की जांच की गई और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने संसद की लोक लेखा समिति के समक्ष उपस्थित न होने के लिए सेबी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और
(घ) सरकार किस प्रकार देश में विश्वास बहाल करने और सेबी तथा इसी प्रकार के विनियामक निकायों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की योजना बना रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री (श्री पकंज चौधरी)

(क) से (घ): भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पास हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों का समाधान करने के लिए पर्याप्त आंतरिक तंत्र मौजूद है, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और निर्णायक भूमिका से हटने संबंधी प्रावधान शामिल हैं।

सेबी के बोर्ड ने अध्यक्ष सहित अपने बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव संबंधी एक संहिता अपनाई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोर्ड इस तरह से कार्य करे जिससे उसकी अपने अधिदेश को पूरा करने की क्षमता से समझौता न हो या सदस्य(यों) द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को निभाने की क्षमता में जनता का विश्वास कम न हो।

लोक लेखा समिति ने अचानक और अपरिहार्य व्यक्तिगत तात्कालिक आवश्यकता के कारण सेबी के अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के अनुरोध पर विचार किया और बैठक स्थगित कर दी थी।

******